तत्काल/समयबद्ध

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 753/11–सी–FP/UP/IND/23246/2016, लखनऊः दिनांकः अक्टूबर/14 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–8–07/2019–एफ0सी0, दिनांक 28.08.2019 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–129/81–2–2019–800(162)/2018, दिनांक 02.09.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख आपने अपने पत्रांक–1765/मी0क्षे0/33, दिनांक 11.10.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, किन्तु विषयगत प्रकरण में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विषयगत प्रकरण को गम्भीरतापूर्वक लेते हुये उ0प्र0 शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 में दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्र **संस्तुति सहित तीन प्रतियों में दो दिवस के अंदर** प्रेषित करने का कष्ट करें। इसमें विलम्ब न किया जाये।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 753 /11–सी–FP/UP/IND/23246/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को, उनके दिये गये निर्देश के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करे।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. श्री रामराज बाली, अधिकृत प्रतिनिधि, जे0पी0 एसोसिएट्स लि0, सेक्टर–128, नोएडा, उ0प्र0।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1851

महत्वपूर्ण

संख्या– VIP-23 /14–2–2019–190 जी/2018

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांकः 28 जून, 2019

ASO
CCF/Nodal
02/7/19

विषय– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वनभूमि के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले फारेस्ट क्लीयरेंस हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की व्यवस्थानुसार गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के बदले प्राप्त होने वाली वनीकरण हेतु गैर वनभूमि के प्रकरणों में गंभीर त्रुटियां शासन के संज्ञान में आयी हैं, जिससे प्रकरण का सम्यक निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है एवं प्रकरण का समयबद्ध रूप से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इससे जहाँ एक ओर फारेस्ट क्लीयरेंस के सन्दर्भ शासन स्तर पर लम्बित प्रदर्शित होते है वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव के त्रुटिपूर्ण होने के कारण भविष्य में विवाद की सम्भावनायें भी बनी रहती हैं।

2– अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावों के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण कर गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रमाण–पत्र पर अंकित कर प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय तथा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी उक्त का अपने कार्यालय अभिलेखों व यथा आवश्यक राजस्व अभिलेखों से परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव को प्रमाणित करने के उपरान्त ही सुसंगत त्रुटिरहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे :–

(1) प्रस्तावित गैर वनभूमि की गाटा संख्या का सत्यापन आधार वर्ष (1359 फसली) की खतौनी एवं कमागत अगले फसली वर्षों की खतौनी से मिलान इस प्रकार कर लिया जाय कि प्रश्नगत गाटा संख्या वन विभाग के प्रबन्धन में दी गयी अथवा श्रेणी–5(ख)(1) की भूमि नहीं थी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/धारा–20 में विज्ञापित नहीं है। यह भी परीक्षण कर सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से वन के पक्ष में निर्णीत हुई हो या वन को प्राप्त हुई हो किन्तु कतिपय कारणों से राजस्व अभिलेखों में वन के खाते में इन्दराज न हुआ हो और वह वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में किसी अन्य खाते में दर्शित हो रहा हो, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वन भूमि, गैर वन भूमि के रूप में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित न की जाय।

(2) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गाँव में प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में चकबन्दी की प्रकिया चल रही हो या हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित जोत चकबन्दी आकार–पत्र 41 (खसरा मुताबिकात/तुलनात्मक खसरा) एवं जोत चकबन्दी आकार–पत्र 45 की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है। यदि

गॉव में चकबन्दी प्रकिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

(3) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गॉव में प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में सर्वे की प्रकिया चल रही हो या हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित सर्वेक्षण प्रपत्र–7 (फर्द मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र–8 (खसरा मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र–14 (पुनरीक्षित खसरा) एवं सर्वेक्षण प्रपत्र–15 (पुनरीक्षित खतौनी) की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है। यदि गॉव में सर्वे प्रकिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासन को निम्न प्रमाण–पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे :–

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या–VIP-23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28 जून, 2019 के प्रस्तर–2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।"

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या– VIP-23 (1)/14–2–2019 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

2– अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(संजय सिंह)
सचिव।